न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 73/2022(जी.सी.एम.एस. 2022/281)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. अमनदीप सिंह पुत्र रतन सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी चक 52 एफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।		1. अजीत सिंह पुत्र मान सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी चक 52 एफ तहसील श्रीकरनपुर 2. जसविन्द्र सिंह पुत्र अजीत सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी चक 52 एफ तहसील श्रीकरनपुर 3. रेशम सिंह पुत्र जसविन्द्र सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी चक 52 एफ तहसील श्रीकरनपुर 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीकरनपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 06.10.2022

उपस्थितः 1.श्री युधिष्ठर सिंह सैनी, रामदास सोंलकी, अधिवक्ता प्रार्थी
2.श्री दलजीत सिंह बराड अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 3

--निर्णय-- **दिनांकः 04.10.2023**

1- संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 52 एफ की जमाबन्दी सम्वत् 2075 ता 2078 के खाता संख्या 93 के मुरब्बा नम्बर 27 की कुल 3.187 हैक्टेयर नहरी भूमि में से प्रार्थी के नाम 1.983 हैक्टेयर नहरी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसी तरह उक्त खाता में प्रार्थी के ताया अजीत सिंह पुत्र सुरजन सिंह के नाम 1.062 हैक्टेयर, प्रार्थी की माता कुलदीप कौर के नाम 0.071 हैक्टेयर तथा प्रार्थी की बहिन शैलेन्द्र कौर के नाम 0.071 हैक्टेयर नहरी रकबा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी के होश संभालने से पूर्व प्रार्थी के पिता द्वारा उक्त रकबा को काश्त किया जा रहा था एवं पिता की मृत्यु के पश्चात् प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को काश्त किया जा रहा है। यानि वर्तमान में उक्त भूमि अर्थात् प्रार्थी के ताया अजीत सिंह की भूमि, माता-बहिन की भूमि पर पिछले 60 वर्षो से प्रार्थी एवं उसके परिवार का कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी के ताया अजीत सिंह पुत्र सुरजन सिंह की करीबन वर्ष 1962 में देहान्त हो चुका है। घरू बंटवारा में प्रार्थी के ताया की उक्त भूमि प्रार्थी के पिता के हिस्सा में आई थी और घरू बंटवारा के रोज से ही प्रार्थी के पिता द्वारा व उसकी मृत्यु के पश्चात् प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर फसल काश्त की जा रही है। अप्रार्थी संख्या 1 अजीत सिंह पुत्र मान सिंह जो रिश्तेदारी में प्रार्थी का दादा लगता है। प्रार्थी के दादा का नाम अजीत सिंह है तथा प्रार्थी के ताया का नाम भी अजीत सिंह है। प्रार्थी के ताया अजीत सिंह लाऔलाद वर्ष 1962 में फौत हो गया था और उसकी मृत्यु के पश्चात् ही ताया अजीत सिंह की उक्त भूमि पर प्रार्थी व उसके परिवार का कब्जा काश्त चला आ रहा है, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 अजीत सिंह जोकि लालची व तेज-तर्रार किस्म का व्यक्ति है, स्वयं का नाम व अपने भतीजे अजीत सिंह पुत्र सुरजन सिंह का नाम एक ही होने का नाजायज फायदा उठाने की नियत से खाता संख्या 93 में अजीत सिंह पुत्र सुरजन सिंह के नाम की 1.062 है0 भूमि को अजीत सिंह पुत्र मान सिंह के नाम दर्ज करवाने के लिए गलत तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय में वाद पत्र पेश किया गया है और अतिशीघ्र उक्त भूमि अपने नाम दर्ज करवाकर प्रार्थी के कब्जा काश्त की आराजी यानि मु0नं0 27 के 3.187 है0 में अजीत सिंह के नाम की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने की फिराक में है, यदि अप्रार्थी संख्या 1 उक्त भूमि अपने नाम दर्ज करवाकर प्रार्थी के कब्जा काश्त की आराजी में कब्जा करने में कामयाब हो गया, तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा, जिसकी भरपाई किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी। दावा दायरी से दो रोज पूर्व प्रार्थी पुनः अप्रार्थीगण से मिला और दावाकृत भूमि गलत तरीके से अपने नाम दर्ज ना करवाने तथा प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखल अंदाजी ना करने के लिए कहा तो अप्रार्थीगण ऐसा करने से साफ इन्कार हो गया। यही वाद कारण है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, राईट एंव टाईटल प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी ए पेश कर निवेदन है कि ताफैसला वाद अप्रार्थीगण के विरूद्व इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण तहसील श्रीकरनपुर के चक 52 एफ की जमाबन्दी सम्वत् 2075 ता 2078 के खाता संख्या 93 के मुरब्बा नम्बर 27 की कुल 3.187 हैक्टेयर नहरी भूमि में अजीत सिंह के नाम दर्ज 1.062 हैक्टेयर भूमि को अपने नाम से दर्ज करवाने से बाज व ममनू रहे तथा अप्रार्थीगण प्रार्थी की कब्जा काश्त की

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

आराजी मुरब्बा नम्बर 27 के 3.187 हैक्टेयर नहरी रकबा में जबरदस्ती कब्जा करने से या किसी अन्य व्यक्ति से कब्जा करवाने से, रहन, बैय, वसीयत करने से बाज व ममनू रहे। मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

2- प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह बराड उपस्थित आए। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार सही तथ्य इस प्रकार है कि मान सिंह के दो पुत्र थे, जिनका नाम सुरजन सिंह, अजीत सिंह था। सुरजन सिंह तथा सुरजन सिंह की पत्नी प्रकाश कौर एवं अप्रार्थी संख्या 1 अजीत सिंह तीनों को चक 52 एफ में 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि अलॉट हुई थी। अलॉटमेंट रजिस्टर में स्पष्ट रूप से उक्त 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि सुरजन सिंह(स्वय) तथा प्रकाश कौर(पत्नी), एवं अजीत सिंह(भाई), को आवंटित है। उक्त आवंटन रजिस्टर में अप्रार्थी संख्या 1 अजीत सिंह के आगे स्पष्ट रूप से भाई शब्द दर्ज किया है, जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 अजीत सिंह, सुरजन सिंह का छोटा भाई था और उक्त आवंटन रजिस्टर में सुरजन सिंह की आयु 26 वर्ष तथा अप्रार्थी संख्या 1 अजीत सिंह की आयु 16 वर्ष दर्ज है यदि वास्तव में सुरजन सिंह व अजीत सिंह आपस में पिता पुत्र होते तो उनकी आयु में केवल मात्र 10 वर्ष का अन्तर कतई नही होता। इससे भी स्पष्ट है कि सुरजन सिंह व अजीत सिंह आपस सगे भाई थे पिता पुत्र नहीं थे। उक्त प्रार्थना पत्र का आधार बंटवारानामा को बताया है तथा प्रार्थना पत्र में अभिवचन किये है कि प्रार्थी के ताया अजीत सिंह पुत्र सुरजन सिंह के नाम 1.062 हैक्टेयर भूमि थी, जो अजीत सिंह ने घरू बंटवारानामा में मेरे पिता को दे दी, मैं होश संभालने से लेकर उक्त भूमि को काश्त कर रहा हूं। जबकि सुरजन सिंह के कभी भी अजीत सिंह नाम का पुत्र पैदा नहीं हुआ, ना ही ऐसे किसी व्यक्ति का कभी कोई अस्तित्व रहा, इसलिए ऐसे अस्तित्वहीन व्यक्ति द्वारा बंटवारानामा करने का प्रश्न पैदा नही होता, प्रार्थी ने एकमात्र जमाबंदी पेश की है कोई भी बंटवारानामा सामिल मिसल नहीं किया है, ना ही ऐसा कोई बंटवारानामा कभी तहरीर किया गया और ना ही ऐसा कोई बंटवारानामा अस्तिव में है। प्रार्थी ने उक्त वादपत्र बिना किसी दस्तावेज, बिना किसी आधार के आधारहीन तथ्यों पर पेश किया है। ना ही कोई वादकारण हासिल है। उक्त 1.062 हैक्टेयर भूमि मुझ अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, जो मुझ अप्रार्थी की आवंटनशुदा भूमि है। जिसका अप्रार्थी संख्या 1 मालिक एंव खातेदार है। उक्त भूमि का खातेदारी इंतकाल दर्ज करते समय पटवारी हल्का ने सहवन से मुझ अप्रार्थी के पिता का नाम मान सिंह के बजाए सुरजन सिंह गलत दर्ज कर दिया, जबकि सुरजन सिंह मुझ अप्रार्थी का बडा भाई था, पिता नहीं था। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

3- हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस को विस्तारपूर्वक सुना। उस पर मनन किया, गौर किया। प्रार्थना पत्र, संलग्न दस्तावेजात, जवाब प्रार्थना पत्र एंव संलग्न दस्तावेजात का अध्ययन कर हम प्रकरण को निम्न 3 बिन्दूओं के आधार पर निर्णीत करना विधिसंगत समझते है:-

(A)प्रथम दृष्टया मामला:- इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाए, क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है। प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुतः दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वाद ग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का प्रर्याप्त आधार प्राप्त हैं। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया कि चक 52 एफ की जमाबन्दी सम्वत् 2075 ता 2078 के खाता संख्या 93 के मुरब्बा नम्बर 27 की कुल 3.187 हैक्टेयर नहरी भूमि में प्रार्थी के ताया अजीत सिंह पुत्र सुरजन सिंह के नाम 1.062 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। है। प्रार्थी के ताया अजीत सिंह पुत्र सुरजन सिंह का वर्ष 1962 में देहान्त हो चुका है। घरू बंटवारा में प्रार्थी के ताया की उक्त भूमि प्रार्थी के पिता के हिस्सा में आई थी और घरू बंटवारा के रोज से ही प्रार्थी के पिता द्वारा व उसकी मृत्यु के पश्चात् प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर फसल काश्त की जा रही है। लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 अजीत सिंह जो लालची व तेज-तर्रार किस्म का व्यक्ति है, स्वयं का नाम व अपने भतीजे अजीत सिंह पुत्र सुरजन सिंह का नाम एक ही होने का नाजायज फायदा उठाने की नियत उक्त 1.062 हैक्टेयर भूमि को अजीत सिंह पुत्र मान सिंह के नाम दर्ज करवाने के लिए गलत तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय में वाद पत्र पेश किया गया है और अतिशीघ्र उक्त भूमि अपने नाम दर्ज करवाकर प्रार्थी के कब्जा काश्त की आराजी पर जबरदस्ती कब्जा करने की फिराक में है। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त भूमि अपने नाम दर्ज करवाकर प्रार्थी के कब्जा काश्त की आराजी में कब्जा करने में कामयाब हो गया, तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
कीकरणपुर

जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 द्वारा कथन किये गये कि सही तथ्य इस प्रकार है कि मान सिंह के दो पुत्र थे, जिनका नाम सुरजन सिंह, अजीत सिंह था। सुरजन सिंह तथा सुरजन सिंह की पत्नी प्रकाश कौर एवं अप्रार्थी संख्या 1 अजीत सिंह तीनों को चक 52 एफ में 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि अलॉट हुई थी। अलॉटमेंट रजिस्टर में स्पष्ट रूप से उक्त 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि सुरजन सिंह(स्वय) तथा प्रकाश कौर(पत्नी), एवं अजीत सिंह(भाई), को आवंटित है। उक्त आवंटन रजिस्टर में अप्रार्थी संख्या 1 अजीत सिंह के आगे स्पष्ट रूप से भाई शब्द दर्ज किया है, जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 अजीत सिंह, सुरजन सिंह का छोटा भाई था और उक्त आवंटन रजिस्टर में सुरजन सिंह की आयु 26 वर्ष तथा अप्रार्थी संख्या 1 अजीत सिंह की आयु 16 वर्ष दर्ज है यदि वास्तव में सुरजन सिंह व अजीत सिंह आपस में पिता पुत्र होते तो उनकी आयु में केवल मात्र 10 वर्ष का अन्तर कतई नही होता। इससे भी स्पष्ट है कि सुरजन सिंह व अजीत सिंह आपस सगे भाई थे पिता पुत्र नहीं थे। उक्त 1.062 हैक्टेयर भूमि मुझ अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, जो मुझ अप्रार्थी की आवंटनशुदा भूमि है। जिसका अप्रार्थी संख्या 1 मालिक एंव खातेदार है। उक्त भूमि का खातेदारी इंतकाल दर्ज करते समय पटवारी हल्का ने सहवन से मुझ अप्रार्थी के पिता का नाम मान सिंह के बजाए सुरजन सिंह गलत दर्ज कर दिया, जबकि सुरजन सिंह मुझ अप्रार्थी का बडा भाई था, पिता नहीं था। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। लिहाजा सुरजन सिंह व अजीत सिंह आपस में सगे भाई थे या पिता पुत्र यह तथ्य मूलवाद में साक्ष्य से तय होना है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

(B)सुविधा का संतुलनः- अस्थाई व्यादेश के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एंव महत्वपूर्ण घटक है, इसका सामान्य तात्पर्य है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी/वादी को अधिकतम असुविधा होगी। चूकिं वादग्रस्त आराजी के संबध में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित हो चुका है। विवादित भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थीगण को कोई हक प्राप्त होना या नहीं, यह साक्ष्य का विषय हैं। जो मूलवाद में साक्ष्य से तय होना है। लिहाजा प्रार्थी सुविधा के संतुलन को अपने पक्ष में साबित करने पूर्णतया सफल रहा है।

(C)अपूरणीय क्षतिः- चूंकि पूर्व विवेचित दोनो बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला तथा सुविधा का संतुलन दोनों बिन्दू प्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। चूकिं वादग्रस्त आराजी के संबध में अस्थायी व्यादेश नहीं दिया जाता तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

4- अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया सफल रहे है। लिहाजा हम प्रार्थना पत्र प्रार्थी को स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

-:आदेशः-

5- अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली-भांति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाकर चक 52 एफ की जमाबन्दी सम्वत् 2075 ता 2078 के खाता संख्या 93 के मुरब्बा नम्बर 27 की कुल 3.187 हैक्टेयर नहरी भूमि को अप्रार्थीगण रहन, बैय, वसीयत करने या किसी अन्य प्रकार से किसी अन्य व्यक्ति को स्थान्तरित करने से बाज व ममनू रहे तथा मौका तथा रिकॉर्ड की यथास्थिति रखी जावे। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

{सुभाष चन्द्र आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

निर्णय आज दिनांक 04.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)